न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 88-I/17.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

1. राजश्री राजा पत्नी लल्लू राजा आयु–57 वर्ष
2. तुलसीदास पुत्र श्री जशरथ लोधी आयु–47 वर्ष
3. अजित कुमार पुत्र श्री कपूर चन्द्र जैन आयु–57
4. राजकुमार पुत्र श्री कपूर चन्द्र जैन आयु–37 वर्ष
5. श्रीमती वती बेवा कपूर चन्द्र जैन आयु–75 वर्ष समस्त निवासीगण–ग्राम लडवारी, पोस्ट अहार, तहसील बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

1. कुसुम पत्नी मुन्नीलाल आयु–47 वर्ष
2. राजकुमारी पुत्री कपूर चन्द्र जैन आयु–52 वर्ष
3. बिन्नू पुत्री कपूर चन्द्र जैन आयु–47 वर्ष
4. हल्कीबाई पुत्री कपूर चन्द्र जैन आयु–42 वर्ष
5. ग्यादीन पुत्र हीरा लोधी आयु–62 वर्ष
6. धनीराम पुत्र हीरा लोधी आयु–55 वर्ष
7. राजाराम पुत्र हीरा लोधी आयु–50 वर्ष
8. रामकिशोर मृतक द्वारा वारिसान

8ए. अरविन्द्र पुत्र रामकिशोर

8बी. ऊषा पुत्री रामकिशोर

8सी. जशोदा बेवा रामकिशोर

9. बिहारी पुत्र जगुवा लोधी आयु–52 वर्ष समस्त निवासीगण– ग्राम लडवारी, पोस्ट अहार, तहसील बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—प्रत्यर्थीगण / अनावेदकगण

श्री रविन्द्र सिंह राजपूत अभि. द्वारा आज दि. 3-1-17 को प्रस्तुत

3-1-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3-1-17 Rani 3-1-17

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 22–11–2016 ब उन्वान राजश्री आदि बनाम कुसुम आदि में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के आधार पर अपील निरस्त करने से दुःखित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत।

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बलदेवगढ़ के द्वारा मूल प्रकरण रा.प्र.क्र. 13/अ/27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 19–08–2014 को यथावत रखा गया।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि, याचिका के उभयपक्ष के संयुक्त स्वामित्व, स्वत्व अधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1375, 1380, 1381, 1383, 1391, 1392, 1393, 1398 कुल किता 8 रकवा 9.671 हैक्टेयर लगानी 20.05 पैसे ग्राम–करमासन घाट, राजस्व निरीक्षक मण्डल एंव तहसील बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ में स्थित है। जिसमें आवेदक राजश्री राजा का 1/4 भाग आवेदकगण अजित कुमार, राजकुमार, श्रीमती वती एवं प्रत्यर्थीगण राजकुमारी, बिन्नू,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-88-एक/2017 जिला टीकमगढ़ राजश्री राजा विरूद्ध कुसुम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र सिंह राजपूत उपस्थित एवं अनावेदक क्रमांक 2 से 9 की ओर से अभिभाषक श्री लोकेन्द्र अछरा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

11.02.19

3

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.02.19

(आर.के. जैन)
सदस्य